संख्या-4 /1173/26-3-2013-4(69)/97

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 13 सितम्बर, 2013

विषय :- संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली भोजन व्यवस्था हेतु मेस की दर बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-152-53/भा0भ0/2013-14, दिनांक 02 जुलाई, 2013 एवं संख्या- 207/भा0भ0/2013-14, दिनांक 07 अगस्त, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संस्थान में अध्यासित छात्रों की भोजन व्यवस्था हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू0 75.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान द्वारा संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 03.07.2008 में भोजन व्यवस्था हेतु अधिकतम व्यय सीमा रू0 60.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी, जिसे संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 01.12.2010 में बढाकर रू0 75.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन किया गया है। इस संबंध में आपके प्रस्ताव

http://shasanadesh.up.nic.in

पर सम्यक विचारोपरान्त भोजन व्यवस्था हेतु मेस की मद में व्यय की जाने वाली धनराशि को रू0 60/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी से बढाकर रू0 75/- प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in